राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः– श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 230 / 2024 प्रा0पत्र

अनवान

हीरा सिंह पिता पन्ना सिंह जाति रावत आयु 72 वर्ष निवासी लोचनिया पीपलीनगर तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... प्रार्थी

बनाम

जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार , तहसील भीम जिला राजसमंद

.... अप्रार्थी

उपस्थिति :–

01. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार सालवी
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः– 13/09/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की मौजा पीपलीनगर पटवार हल्का पीपलीनगर तहसील भीम में कृषि भूमि स्थित है जिसके नये खाता नम्बर 750 खसरा नम्बर 5690, 5734, 5762 कुल किता 03 कुल रकबा 0.3743 है0 किस्म चाही1 जाव1 है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम हरी सिंह पिता पन्ना सिंह के स्थान पर हीरा सिंह पिता पन्ना सिंह दर्ज कराने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र, जमाबंदी की प्रतिलिपि एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार भीम को मय नकल प्रार्थना पत्र सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार रिकॉर्ड में उपरोक्त नाम शुद्धि उचित है तथा इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वकील प्रार्थी ने बहस में भी प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराये। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। उक्त आधार पर नये खाता नम्बर 750 खसरा नम्बर 5690, 5734, 5762 कुल किता 03 कुल रकबा 0.3743 है0 किस्म चाही1 जाव1 में प्रार्थी का नाम हीरा सिंह पिता पन्ना सिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/9/25 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
भीम

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द